2025: CGHC: 20172-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्र. 310/2024

रितेश @पप्पु मांझी, पिता रामलाल मांझी, आयु लगभग 18 साल, 10 महीने, निवासी-मांझी मोहल्ला, सीतामणि, कोरबा, पुलिस थाना कोतवाली जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना कोतवाली जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

(वाद शीर्षक, केस इनफार्मेशन सिस्टम से ग्रहित)

अपीलार्थी के लिएः	:	सुश्री निरुपमा बाजपेयी, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य के लिए	:	श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

न्यायपीठ पर पारित निर्णय

श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

02.05.2025

1. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता सुश्री निरुपमा बाजपेयी के साथ-साथ राज्य/उत्तरवादी की ओर से श्री शैलेंद्र शर्मा, विद्वान पैनल अधिवक्ता के तर्कों का श्रवण किया।

2. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 374(2) के अधीन यह अपील प्रस्तुत की है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पोक्सो), कोरबा, जिला कोरबा (छग) द्वारा विशेष प्रकरण (पोक्सो) संख्या 17/2022 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 09.10.2023 को प्रश्नाधीन किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया था और निम्नलिखित रीती से सभी दण्डों को एक साथ चलाने के निर्देश के साथ दण्डादिष्ट किया था :-

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366 के अंतर्गत	रू.500/- के अर्थदंड सहित 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, अर्थदंड के संदाय के व्यतिक्रम में 6 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 (कख) के अंतर्गत	वैकल्पिक रूप से, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, की धारा 6 के अंतर्गत	रु. 500/- के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास (अर्थात उसकी शेष प्राकृतिक मृत्यु तक), अर्थदंड के संदाय के व्यतिक्रम में 6 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में, यह है कि दिनांक 03.04.2022 को, लगभग दोपहर 01.30 को, परिवादी/पीड़िता की माँ (अ.सा.-1) ने पुलिस थाना कोतवाली कोरबा में एक लिखित परिवाद (प्रदर्श पी/) 1 प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिनांक 16.03.2022 को, उसकी तृतीय संतान/पीड़िताा (अ.सा.-2) 06.00 से 07.00 के बीच सामान खरीदने के लिए अकेले अपने घर से दुकान गयी थी, जहाँ से पीड़िता लगभग 07.30 को वापस आई और उल्टी करने के बाद रोने लगी। कारण पूछने पर पीड़िताा ने बताया कि 'पप्पू मामा' उसे जबरदस्ती एक कमरे में ले गया, उसके कपड़े व अधो-अंतःवस्त्र उतार दिए तथा उसके गुप्तांग/मूत्र क्षेत्र में उंगली डालने लगा, साथ ही उसने उसे अपना लिंग मुंह में डालकर चूसने को कहा, जिस पर पीड़िताा रोने लगी। आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी है।

4. पीड़िता से उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने पर, परिवादी उसे उक्त कमरे में ले गई, परंतु उस समय आरोपी मौजूद नहीं था। परिवादी को पता नहीं था कि पीड़िता ने किसे 'पप्पु मामा' कहा था, परंतु दिनांक 01.04.2022 को, जब वह अपने बच्चों और पति के साथ पड़ोस में एक शादी में गई थी, तो आरोपी अर्थात पप्पु मांझी को देखकर, पीड़िताा ने उसे पहचान लिया

और परिवादी को बताया कि वह वही व्यक्ति था जो उस दिन पीड़िताा को कमरे में ले गया था और अपना लिंग पीड़िताा के मुंह में डाल दिया था और उसके गुप्तांग में अपनी उंगली भी डाली थी।

5. लिखित परिवाद (प्रदर्श पी/1) के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') की धारा 376कख के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (संक्षेप में, 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 5 (एम) और 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन कोतवाली कोरबा में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/2) दर्ज की गई और अन्वेषण शुरू किया गया। अन्वेषण के दौरान, उप-निरीक्षक, भावना खंडारे ने दिनांक 03.04.2022 को प्रदर्श पी-6 के अनुसार घटना का नक्शा तैयार किया था और साथ ही पीड़िता और उसके माता-पिता का कथन दर्ज किया था। प्रदर्श पी-5 के अनुसार, पीड़िता के निजी अंगों की जांच करने के लिए अभियोक्त्री और उसकी माँ की सहमति ली गई थी। पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए आवेदन (प्रदर्श पी-7) के साथ जिला अस्पताल, कोरबा भेजा गया और उसी दिन, आरोपी को गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी/9 के अनुसार गिरफ्तार किया गया और प्रदर्श पी-10 के अनुसार आरोपी के कुटुंब को जानकारी दी गई। अभियुक्त को आवेदन प्रदर्श पी-8 के साथ जिला अस्पताल, कोरबा में चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था, उसी तिथि को आवेदन प्रदर्श पी-11 तहसीलदार, कोरबा को घटना स्थल का पटवारी नक्शा तैयार करने के लिए दिया गया था। पीड़िताा का कथन अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, कोरबा के समक्ष दर्ज किया गया था और उसी दिन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िताा का कथन दर्ज करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के समक्ष आवेदन (प्रदर्श पी-13) दिया गया। जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी-3 और प्रदर्श पी-4 के अनुसार, पीड़िताा की मां ने क्रमशः सामग्री ए-1 के अनुसार केजी-1 की अंकसूची की प्रतिलिपि और सामग्री ए-2 के अंतर्गत मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। पीड़िताा का प्रवेश-मुक्ति प्रमाण पत्र(admission-discharge certificate) प्रस्तुत करने के लिए प्राचार्य,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लायंस इंग्लिश हाई स्कूल, सीतामणी, कोरबा को आवेदन (प्रदर्श पी-14) दिया गया था, जिसे प्रदर्श पी-15 के अंतर्गत जब्त किया गया, जिसके अनुसार पीड़िताा की जन्म तिथि 24.06.2014 है।

6. तत्पश्चात, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के कथन दर्ज किए गए और सम्यक अन्वेषण उपरांत, पुलिस ने संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया और उसके बाद, प्रकरण को विधि अनुसार सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहां से विधि अनुसार सुनवाई और निराकरण के लिए प्रकरण को पोक्सो अधिनियम के अधीन विद्वान फास्ट ट्रैक न्यायालय, कोरबा, जिला कोरबा (छग) द्वारा अंतरण पर प्राप्त किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 366 और 376 (कख) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं और विचारण किया है। अपीलार्थी ने अपने अपराध का अभित्यजन किया और यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे प्रश्नाधीन अपराध में गलत तरीके से आलिप्त किया गया है। 7. प्रश्नाधीन अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता को प्रमाणित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 4 साक्षियों का परीक्षण किया है और अपने प्रकरण के समर्थन में 16 दस्तावेजों के साथ-साथ 2 सामग्री प्रदर्शांकित किया है। बचाव पक्ष के समर्थन में, अपीलार्थी/अभियुक्त ने 2 साक्षियों का परीक्षण किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विचारण पूरा होने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद, आक्षेपित आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस निर्णय की द्वितीय कंडिका में उल्लिखित रीती से दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया जिसके विरुद्ध दं०प्र०सं० की धारा 374 (2) के अंतर्गत इस अपील को अभियुक्त द्वारा आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश को प्रश्नाधीन करते हुए दाखिल किया गया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रीति से तर्क दिया कि विद्वत विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की उचित विवेचना करने में विफल रहा है और अपीलार्थी को गलत रीती से दोषसिद्ध किया गया है। अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा। पीड़िता के बयान अटकलों और अनुमानों से भरे हुए हैं और अत्यधिक अविश्वसनीय हैं। पीड़िता की आयु प्रमाणित नहीं हुई है और आयु अवधारित करने के लिए कोई अस्थि जाँच/परीक्षण नहीं किया गया है जो अभियोजन के पूरे प्रकरण को संदिग्ध बनाता है। अतः दोषसिद्धि निरस्त किये जाने योग्य है।

10. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी के लिए राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने एक अप्राप्तवय बालिका, जिसकी आयु लगभग 7 वर्ष है, के साथ बलात्कार का एक जघन्य अपराध कारित किया है और इसे अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे विधिवत प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दोषसिद्धि का निर्णय और दण्डादेश न्यायसंगत और उचित है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का अध्ययन किया है।

12. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना की तारीख को पीड़िता अवयस्क थी?

13. जब किसी व्यक्ति पर पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए या भारतीय दंड संहिता में दंडनीय बलात्कार के लिए आरोप लगाया जाता है, तो पीड़िता की आयु इस तरह के आरोप को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक है और अपराध की गंभीरता तब बदल जाती है जब बालक 18 वर्ष और 12 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक का हो। पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (घ) "बालक" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।

14. **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 263** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं:

> "22. अवयस्क की आयु के अवधारण के मुद्दे पर, केवल किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधि नियम, 2007 (जिसे आगे 2007 का नियम कहा जाएगा) के नियम 12 का संदर्भ लेना होगा। वर्ष 2007 के पूर्वकथित नियम किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68 (1) के अंतर्गत विरचित किये गए हैं। उपरोक्त उल्लिखित नियम 12 निम्नानुसार हैः
>
> > **"12. आयु अवधारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:** (1) विधि से संघर्षरत किसी बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में, न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी प्रकरण हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तिथि से अड़तीस दिनों की अवधि के भीतर किशोर या बालक या विधि से संघर्षरत ऐसे किशोर की आयु अवधारित करेगी।
> >
> > (2) न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो समिति किशोर या बच्चे के किशोर होने या अन्यथा होने या जैसा भी मामला हो, विधि से संघर्षरत किशोर की शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर प्रथम दृष्टया निर्णय करेगा और उसे अवलोकन गृह या जेल में भेज देगा।
> >
> > (3) विधि से संघर्षरत किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच अदालत या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा निम्न से साक्ष्य प्राप्त करके आयोजित की जाएगी-
> >
> > > (क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;
> > >
> > > (ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसमें पहली बार उपस्थित हुआ था; और उसके अभाव में; (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्रः
> > >
> > > (ख) और केवल उपरोक्त खण्ड (क) के (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र की घोषणा करेगा। यदि उम्र का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझे जाए, एक वर्ष के अंतर के भीतर उसकी उम्र को कम मानते हुए बच्चे या किशोर को लाभ दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य, या जैसा भी मामला हो, चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और किसी भी में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा। खंड (क) (i), (ii), (iii) या उसके अभाव में, खंड (ख) ऐसे बच्चे या किशोर या विधि से संघर्षरत किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि किसी किशोर या बच्चे या विधि से संघर्षरत किशोर की उम्र अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उप नियम (3), में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक सबूत के आधार पर, जैसा भी मामला हो, अदालत या बोर्ड या समिति लिखित रूप में अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए आयु बताते हुए और किशोरता की स्थिति या अन्यथा घोषित करते हुए एक आदेश पारित करेगी और आदेश एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी।

(5) अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 7क, धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में, सिवाय इसके कि जहां आगे की जांच या अन्यथा की आवश्यकता है, को छोड़कर, जांच करने और इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करने के बाद अदालत या बोर्ड द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निस्तारित मामलों पर भी लागू होंगे, जहां किशोरता की स्थिति उप-नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है, जिसके तहत सजा की व्यवस्था आवश्यकता है एवं विधि से संघर्षरत किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए आवश्यकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. भले ही नियम 12 केवल विधि से संघर्षरत एक बालक की आयु अवधारित करने के लिए सख्ती से लागू होता है, हमारा विचार है कि उपरोक्त वैधानिक उपबंध आयु का अवधारण करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि एक बालक के लिए भी जो अपराध से पीड़ित है। क्योंकि, हमारे विचार में, जहां तक अल्पवयस्कता के मुद्दे का संबंध है, विधि से संघर्षरत बालक और अपराध से पीड़ित बालक के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अभियोक्त्री पीड़ित साक्षी-अभियोजन साक्षी 6 की आयु अवधारित करने के लिए 2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना न्यायसंगत और उचित होगा। आयु का निर्णायक रूप से अवधारण करने की रीती ऊपर उल्लिखित नियम 12 के उपनियम (3) में व्यक्त किया गया है। उपरोक्त उपबंध के अंतर्गत, नियम 12 (3) में प्रतिपादित कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर बालक की आयु का अभिनिश्चय किया जाता है। यदि नियम 12 (3) के अंतर्गत विकल्पों की योजना में, एक विकल्प पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया जाता है, तो इसका प्रभाव बाद के खंड में व्यक्त विकल्प पर अधिभावी होता है। उपलब्ध उच्चतम मूल्यांकित विकल्प,

निर्णायक रूप से अवयस्क की आयु अवधारित करता है। नियम 12 (3) की योजना में, संबंधित बालक का मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र, उच्चतम मूल्यांकित विकल्प है। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। केवल उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में, नियम 12 (3), उस विद्यालय में दर्ज की गई जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना करता है, जिसमें बालक पहली बार उपस्थित हुआ था। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि अंतिम और निर्णायक मानी जाने योग्य होगी और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जायेगा। केवल इस तरह की प्रविष्टि के अभाव में, नियम 12 (3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भरता का प्रतिपादन करता है। फिर से, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बालक की आयु अवधारित करने के लिए किसी भी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बालक की आयु का निर्णायक रूप से अवधारण करेगा। यह केवल उपरोक्त में से किसी के अभाव में है कि नियम 12 (3) चिकित्सा राय के आधार पर संबंधित बच्चे की आयु का अवधारण करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने पीड़िताा का जन्म प्रमाण पत्र (सामग्री-ए/2) प्रस्तुत किया है, जिसमें पीड़िताा की जन्म तिथि 24.06.2014 अंकित है। बचाव पक्ष ने उक्त जन्म तिथि को अस्वीकार करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए, पीड़िताा की जन्म तिथि 24.06.2014 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िताा की जन्म तिथि 24.06.2014 है और घटना की तारीख अर्थात दिनांक 16.03.2022 को उसकी आयु लगभग 07 वर्ष 08 महीने और 5 दिन थी।

16. **विचार के लिए अगला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 363 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में न्यायानुमत है?**

17. अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 366 और 376 (कख) के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो व्यपहरण, अपहरण या महिला को उसके विवाह के लिए उत्प्रेरित करने के लिए दंडनीय है। व्यपहरण को भा०द०सं० की धारा 359 के तहत परिभाषित किया गया है। भा०द०सं० की धारा 359 के अनुसार, व्यपहरण दो प्रकार का होता हैः भारत से

व्यपहरण और वैध संरक्षकता से व्यपहरण। भा०द०सं० की धारा 361 वैध संरक्षकता से व्यपहरण को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार हैः -

> **"361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण:** जो कोई किसी अप्राप्तव्य को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो (अठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 359 का उद्देश्य कम से कम उतना ही कोमल आयु के बच्चों को अनुचित उद्देश्यों के लिए अपहरण या बहकावे में आने से बचाना है, जितना कि अवयस्कों या विकृतचित्त व्यक्तियों की वैध देखभाल या अभिरक्षा करने वाले माता-पिता और अभिभावकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। धारा 361 में चार तत्व हैं:-

> (1) किसी नाबालिग या विकृत चित्त वाले व्यक्ति को ले जाना या बहला-फुसलाकर ले जाना।
>
> (2) यदि अप्राप्तवय लड़का है तो उसकी आयु सोलह वर्ष से कम होनी चाहिए, या यदि अप्राप्तवय लड़की है तो उसकी आयु अठारह वर्ष से कम होनी चाहिए।
>
> (3) ले जाना या बहकाना, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर होना चाहिए।
>
> (4) इस तरह का ले जाना या बहकाना, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना होना चाहिए।

जहाँ तक वैध संरक्षकता से एक अप्राप्तवय लड़की के व्यपहरण का संबंध है, इसके तत्व इस प्रकार है: (i) कि बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी; (ii) ऐसी अवयस्क एक वैध अभिभावक के संरक्षण में थी, और (iii) आरोपी ने ऐसे व्यक्ति को ऐसे संरक्षण से मुक्त

किया या मुक्त करने के लिए प्रेरित किया और ऐसा करना वैध संरक्षक की सहमति के बिना किया गया था।

19. **एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, AIR 1965 SC 942** के प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के उद्देश्य पर विचार करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित कर देता है कि यद्यपि अवयस्क के पिता के संरक्षण से जाने से ठीक पहले अभियुक्त द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, फिर भी उसने पहले किसी चरण में अवयस्क को ऐसा करने के लिए उकसाया या राजी किया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि इनमें से किसी एक बात को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का अभाव है, तो यह अनुमान लगाना वैध नहीं होगा कि अभियुक्त अवयस्क को वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर ले जाने का दोषी है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया : -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "तथापि, यह पर्याप्त होगा यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करता है कि यद्यपि अवयस्क के पिता के संरक्षण से जाने से तत्काल पहले आरोपी द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, परन्तु उसने किसी प्रारंभिक चरण में अवयस्क को ऐसा करने के लिए कहा था या राजी किया था। यदि उन चीजों में से किसी एक को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का अभाव है, तो केवल इसलिए कि जब वह वास्तव में अपने अभिभावक के घर या उस घर को छोड़ चुकी है जहां उसके अभिभावक ने उसे रखा था और वह आरोपी के साथ हो गयी है तथा आरोपी ने उसे अपने साथ जगह-जगह ले जाकर उसके अभिभावक के घर न लौटने की उसकी मंशा में सहायता की थी, तब यह निष्कर्ष निकालना वैध नहीं होगा कि आरोपी, अवयस्क को वैध अभिभावक के संरक्षण से दूर करने का दोषी है। निस्संदेह, अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को लड़की की मंशा को पूरा करने में सहायता के रूप में माना जा सकता है। परन्तु वह कृत्य, अवयस्क को उसके वैध अभिभावक के संरक्षण से दूर ले जाने के एक प्रलोभन से कम है और इसलिए, "ले जाने" के समतुल्य नहीं है। "

20. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर वापस आते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत अपराध के तत्वों के प्रकाश में, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत दंडनीय है और साथ ही **एस वरदराजन** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधिक सिद्धांतो के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दिनांक 16.03.2022 को पीड़िताा (अ.सा.-2)

शाम 06.00 बजे से 07.00 बजे के बीच सामान खरीदने के लिए अपने घर से अकेली दुकान पर गई थी, जहां से पीड़िताा लगभग 07.30 बजे वापस आई और उल्टी करने के बाद रोने लगी। इसका कारण पूछे जाने पर, पीड़िताा ने बताया कि 'पप्पु मामा' उसे बलात एक कमरे में ले गया था, उसने उसके कपड़े और अंतःवस्त्र भी उतार दिया और उसके गुप्तांग/मूत्र क्षेत्र में अपनी उंगली डालने लगा और साथ ही उसने उसे अपने लिंग को चूसने के लिए कहा था। उसने यह भी कथन किया था कि आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी थी। इस प्रकार, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 366 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में पूरी तरह से न्यायानुमत है।

21. **हमारे सामने विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने अवयस्क पीड़िताा के साथ बलात्कार किया है?**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. पीड़िता (अ.सा.-2) द्वारा कथन किया गया है कि होली के त्योहार से दो दिन पहले, वह 'खई' (एक तरह की चॉकलेट खाने) खरीदने के लिए गुरुजी की किराने की दुकान पर गई थी, उसी समय, आरोपी आया और उसका मुंह और आंखें बंद कर दीं और उसे अपनी बड़ी माँ के कमरे में ले गया, अपने अंतःवस्त्र के साथ-साथ सभी कपड़े भी उतार दिए और अपने लिंग को उसके मुंह में डाल दिया और साथ ही उसके गुप्तांग में अपनी उंगली डाल दी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह चिल्लाई और कमरे से भाग गई और अपने घर की ओर चली गई। घर पहुंचने पर उसने अपनी माँ को पूरी घटना बताई। फिर, वह अपनी माँ के साथ उक्त कमरे में गई, परंतु आरोपी वहाँ नहीं मिला। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि कुछ दिनों बाद, उसने आरोपी को स्थानीय जगह में एक विवाह में देखा और अपनी माँ को बताया कि वही वह आदमी था जिसने उस दिन उसे उठाया था और उसके साथ गंदी चीजें कर रहा था।

23. पीड़िता की माँ(अ.सा.-1) ने परिसाक्ष्य दिया है कि पीड़िता उसकी बेटी है, वह कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए अपने घर के पास एक किराने की दुकान पर गई थी, जहां आरोपी

वहां आया और उसे पीछे से ले गया, उसे उठाया और अपने कमरे में ले गया, उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ गलत कार्य करने का प्रयत्न किया, जिससे उसकी बेटी जोर से रोने लगी। आरोपी ने अपना लिंग उसकी बेटी के मुंह में डाल दिया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसकी बेटी 15 मिनट तक घर नहीं लौटी, तो वह उसे खोजने के लिए बाहर गई और देखा कि वह रोते हुए अपने घर की ओर आ रही थी। जब उसने पीड़िताा से रोने का कारण पूछा, तो उसने उसे बताया कि आरोपी ने उसके कपड़े उतार दिए थे और उसके मुंह में अपना लिंग डाल दिया था, आरोपी ने अपनी उंगली को पीड़िताा के गुप्तांग में डाला था। जैसे ही उसकी बेटी ने उक्त जानकारी दी, वह उस कमरे में गई, परंतु आरोपी वहां नहीं था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 01.04.2022 को, उस इलाके में एक विवाह हुआ था, जहाँ वह अपने पति और बेटी/पीड़िता के साथ थी, उस प्रासंगिक समय, आरोपी भी वहां उपस्थित था। उसे देखकर, उसकी बेटी/पीड़िताा घबराने लगी और उसे बताया कि आरोपी वही व्यक्ति है जो उसे उस दिन उठा ले गया था और उसके साथ गलत काम कर रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. पीड़िताा का साक्ष्य कि घटना दिनांक अर्थात 16.03.2022 को अभियुक्त द्वारा पीड़िताा को उसके माता-पिता के विधिक संरक्षण एवं उनकी सहमति के बिना व्यपहृत/अपहृत कर लिया गया था, घटना स्थल मोहल्ला सीतामणी, ग्राम मांझी में पीड़िताा के मूत्र मार्ग पर गुरुत्तर प्रवेशन यौन हमला किया गया था तथा पीड़िताा के साथ बलात्कार किया गया था, यह तथ्य अकाट्य पाया गया है।

25. **गणेशन बनाम राज्य, (2020) 10 SCC 573** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन और अभिनिर्धारित किया था कि जब अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय, दोषमुक्त, भरोसेमंद पाया जाता है और उसका साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है, तब पीड़िता/अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि हो सकती है।

26. **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) विरुद्ध पंकज चौधरी, (2019) 11 SCC 575** के प्रकरण में, यह अवलोकन किया गया था और अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सामान्य

नियम के रूप में, यदि विश्वसनीय है, तो अभियुक्त की दोषसिद्धि, बिना संपुष्टि के, अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है। यह आगे देखा अवधारित और अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर न्यायालय द्वारा केवल अटकलों और अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।

27. **शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 18 SCC 34** के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि पीड़िता का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है और जब तक कि उसके कथन की संपुष्टि कराने के लिए अप्रतिरोध्य कारण नहीं हैं, न्यायालयों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए केवल यौन उत्पीड़न की पीड़िताा के परिसाक्ष्य, जो विश्वसनीय प्रतीत हो और अवलंब लिए जाने योग्य पाया जाये, पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आगे यह निर्धारित किया गया था कि एक नियम के रूप में, उसके परिसाक्ष्य पर विश्वास करने से पहले उसके कथन की संपुष्टि करना, ऐसे प्रकरणों में जले में नमक छिड़कने के समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए और जैसा कि ऊपर अवधारित किया गया है, हमें पीड़िता की विश्वसनीयता और/या सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। वह भरोसेमंद और विश्वसनीय है। इसलिए, बिना किसी और संपुष्टि के, पीड़िता के एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है।

29. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण कि अपीलार्थी अपराध का लेखक है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्य का एक शुद्ध निष्कर्ष है और हमारा मत है कि वर्तमान प्रकरण में, एकमात्र संभव दृष्टिकोण ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया था।

30. उपरोक्त विश्लेषण से, हमारी यह सुविचारित अभिमत है कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/दोषी के अपराध के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है।

31. तदनुसार, गुणदोष से रहित होने के कारण अपील निरस्त किये जाने योग्य है और इसे एतद्वारा **निरस्त किया जाता है**।

32. अपीलार्थी/दोषी का कारावास में होना बताया गया है। वह विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिए गए दण्ड को पूरा करेगा।

33. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की एक प्रति संबंधित कारावास अधीक्षक को भेजें, जहां अपीलार्थीगण अपना कारावास का दण्ड भुगत रहा है, ताकि अपीलार्थी को यह सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

34. मूल अभिलेख के साथ इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक जानकारी और कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

अनु

शीर्ष टिप्पण

पीड़िता का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है और जब तक कि उसके परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए अप्रतिरोध्य कारण न हों, न्यायालय को किसी आरोपी को दोषसिद्ध करने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िताा का परिसाक्ष्य पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसका परिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत हो एवं भरोसेमंद होना पाया जाये।

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur